आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर०ई० वाद सं०– 15/2019–20

कामेरा बीबी

बनाम

मतिउर रहमान

आदेश

6-02-20

आवेदिका कामेरा बीबी, पति– मजारूल हक, सा0– श्रीकुण्ड बाजार, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदिका के द्वारा दायर आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई तथा उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
श्रीकुण्ड	150/अंश	162	02 कट्ठा

उभय पक्ष की ओर से वकालतन हाजरी है। अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारण पृच्छा अप्राप्त। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त मे कहना है कि विपक्षी मोतियुर रहमान, पिता– मजारूल हक आवेदिका कामेरा बीबी, पति– मंजारूल हक के पुत्र है। इस प्रकार आवेदिका एवं विपक्षी के बीच उच्छेदी वाद चलने लायक नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने भी माना कि आवेदक एवं विपक्षी दोनों पिता–पुत्र हैं तथा आवेदिका के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि दोनों एक ही परिवार से है।

अतएव आवेदिका के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner